राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः 05.12.2017

अधिसूचना

राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) अधिनियम,2017 की धारा 10 की अनुपालना में आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 18) की धारा 7 सपठित आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोजना विभाग की अधिसूचना कमांक एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक 06.02.2017 की निरन्तरता में राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे सारणी में वर्णित जन कल्याण के लाभ की योजनाओं के लिए भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ हस्तान्तरण के लिए आधार अधिप्रमाणन करवाने अथवा आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिये निम्नानुसार अधिसूचित करती है कि,-

1 भामाशाह प्लेटफॉर्म से वितरित किए जा रहे नकद व गैर नकद लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को आधार सत्यापन तंत्र के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करवानी होगी।

2 यदि किसी लाभार्थी द्वारा आधार पंजीयन नहीं करवाया है तो उसे राज्य सरकार द्वारा स्थापित नजदीकी स्थाई आधार नामांकन केन्द्र पर जा कर आधार पंजीकरण करवाना होगा।

3 ऐसा लाभार्थी जिसके पास आधार संख्या उपलब्ध नहीं है तथा उसने अभी आधार पंजीयन कराया है लेकिन आधार संख्या प्राप्त नहीं हुई है उसके लिए राजकीय लाभ तथा सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पहचान के निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज के साथ आधार पंजीयन रसीद प्रस्तुत करनी होगीः-

(i) पासपोर्ट
(ii) राशनकार्ड
(iii) मतदान पहचान पत्र
(iv) ड्राइविंग लाईसेन्स
(v) नरेगा जॉबकार्ड
(vi) किसान क्रेडिट कार्ड पासबुक
(vii) स्वतंत्रता सेनानी का फोटो कार्ड
(viii) राज्य सरकार द्वारा जारी विशेष योग्यजन पहचान पत्र
(ix) राज्य/केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र

सारणी

भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण हेतु चिन्हित योजनाएं

क.सं.	विभाग का नाम	योजना
162.	महिला एवं बाल विकास विभाग	प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना
163.	महिला अधिकारिता विभाग	किशोरी बालिका योजना
164.	ग्रामीण विकास विभाग	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः 05.12.2017

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. **अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, ... विभाग, राजस्थान, जयपुर को विभागीय योजनाओं से संबंधित परिपत्रों/ निर्देशों आदि में आवश्यक अद्यतन हेतु प्रेषित है।**
4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव